

भूमि सुधार उप-समाहर्ता का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

जमाबंदी रद्द वाद सं०-1/2015-16

नवीन कुमार राय

-बनाम्-

कलीम अंसारी

आदेश

05.10.21 आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरीडीह के न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2015 को प्रारम्भ किये गये इस अभिलेख की कार्यवाही के क्रम में निम्न न्यायालय/अंचल अधिकारी, धनवार के पत्रांक-813, दिनांक-10.09.2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए जमाबंदी रद्द वाद सं०-1/2013-14 स्वराज राय -बनाम्- कलीम अंसारी के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा दिनांक-12.03.2014 को जमुना कुमारी के नाम कायम जमाबंदी सं०-49 से खाता सं०-17, प्लॉट सं०-65, रकवा-0.49 डिसमिल को कम करते हुए उक्त खाता एवं प्लॉट के संबंध में द्वितीय पक्ष के पूरखा रतू मियां को 15 वैशाख 1935 को बन्दोवस्ती से प्राप्त रकवा 5.17 डिसमिल के लिए कथित रूप से चल रहे जमाबंदी मौलुम-2, पृष्ठ सं०-8 को परिवर्तित किये जाने की अनुसंशा को भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गिरीडीह के माध्यम से कार्यान्वित कराने की अपेक्षा की गई है, जिससे व्यथित होकर स्वर्गवासी स्वराज राय के वंशज द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में इस अभिलेख की कार्यवाही जारी रहना स्पष्ट है।

पक्षकारों को सुनने तथा अभिलेख में न्यस्त कागजात के अवलोकन से अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा की गई उपरोक्त अनुसंशा किसी प्रावधान विशेष से आच्छादित नहीं रहना भी स्पष्ट है, तदनुसार अंचल अधिकारी, धनवार के अनुसंशा दिनांक-12.03.2014 को नियमसंगत एवं स्वीकार करने योग्य नहीं पाकर उक्त आदेश दिनांक-12.03.2014 को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, धनवार को निदेश दिया जाता है कि विभागीय परिपत्र सं०-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 में निहित सुस्पष्ट निदेश के आलोक में द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पूरखा रतू मियां को 15 वैशाख 1935 को बन्दोवस्ती प्राप्त रहने संबंधी दावा का विचारण एवं निस्तार उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से करना सुनिश्चित करें।

अंचल अधिकारी, धनवार के पत्रांक-813, दिनांक-10.09.2015 के माध्यम से प्राप्त मूल अभिलेख को इस आदेश की प्रति के साथ अंचल अधिकारी, धनवार को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
खोरीमहुआ (गिरीडीह)